

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 78/2019

दायर दिनांक :- 12.04.2019

अनवान

श्री रामलाल पिता मगना मीणा नि. बृज की डूगरिया तह. जहाजपुर  
प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री भूरा पिता हजारी मीणा नि. बृज की डूगरिया तह. जहाजपुर
2. श्री सोराम पिता जालमा मीणा नि. बृज की डूगरिया तह. जहाजपुर
3. श्री धनराज पिता लुणा मीणा नि. बृज की डूगरिया तह. जहाजपुर
4. श्री प्रहलाद पिता लुणा मीणा नि. बृज की डूगरिया तह. जहाजपुर
5. श्रीमति जमना पत्नि कल्याण मीणा नि. बृज की डूगरिया तह. जहाजपुर  
अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 17.03.2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम बृज की डूगरिया प० ह० शक्करगढ तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 210, 214 कुल किता 2 रकबा 4.10 बीघा भूमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बृज की डूगरिया प० ह० शक्करगढ तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 210, 214 कुल किता 2 रकबा 4.10 बीघा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उम्मेद सिंह राजावत )

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)  
जहाजपुर (भीलवाडा)

